राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5(2) आ.प्र. एवं स.आ. / पशु शिविर / 2014 / 1150-75 जयपुर,दिनांक 13.2.14

जिला कलेक्टर,
अजमेंर,अलवर,बांसवाडा,बाडमेर,बारां,बीकानेर,
चुरू,डूगरपुर,जोधपुर,सिरोही,प्रतापगढ,कोटा,
जैसलमेर,झालावाड,नागौर,पाली एवं बून्दी ।

विषयः— अभाव संवत् 2070 में अभावग्रस्त जिलों में अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविर संचालन के संबध में दिशा—निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क. एफ1 (1) (4) आ.प्र.सआ /सामान्य /2013/734—800 दिनांक 28.01.2014 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन आफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 के अन्तर्गत अभावग्रस्त गांवों में चारे की कमी हो जाने के फलस्वरूप असहाय/आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु पशु शिविर संचालन किये जाने हेतु निम्न प्रावधानों के अन्तर्गत अधिकृत किया जाता है :—

1. अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविरों का संचालन भारत सरकार द्वारा जारी पत्रांक 32—3/2013—NDM-I दिनांक 28.11.2013 के संशोधित SDRF/NDRF मानदण्डो के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। संशोधित मानदण्डो के अनुसार जिले की आवश्यकता अनुसार 30 दिवस की अवधि तक कैम्प का संचालन किया जायेगा। जिसे प्रथम बार में 60 दिवस तक तथा भीषण सूखा की स्थिति में 90 दिवस तक राज्य कार्यकारी समिति के आंकलन उपरान्त बढ़ाया जा सकता है। अतः जिला कलेक्टर को 30 दिवस के लिये कैम्प संचालन आवश्यकता अनुसार किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। कैम्प संचालित किये जाने के प्रस्ताव जिला कलेक्टर द्वारा आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को भिजवाये जायें। आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा पशु शिविर संचालन की स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त ही जिला कलेक्टर द्वारा पशु शिविर संचालित किये जाये।
2. पशु शिविर का संचालन राजकीय संस्था, पंचायतीराज संस्था या स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से करवाया जावे एवं साथ ही ऐसे शिविरों में असहाय एवं आवारा पशुओं को संधारित किया जावे।
3. गत वर्षो में राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि पशु पालको के दुधारू पशुओं को भी पशु शिविर में दाखिल कर लिया जाता है तथा पशुपालक दिन में पशुओं को चराई की सुविधा हेतु शिविरों में छोड़ देते है एवं सुबह —शाम पशुओं को लेकर जाते है। अतः इस सन्दर्भ में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैः—

(i) किसी भी शिविर में दुधारू पशु को नहीं रखा जाए।

(ii) पशु शिविर उन्हीं संस्थाओं को स्वीकृत किये जाए जिनके पास पशुओं को रखे जाने की समुचित व्यवस्था यथा बाड़ा, छाया, पानी, इत्यादि की समुचित व्यवस्था हो।

(iii) यदि पशुपालको द्वारा अपने पशुओं को शिविरों में दाखिल किया जाता है तो पशु पालक को पशु का मालिकाना हक छोड़ना होगा।

(iv) पशु शिविरों में रखे जाने वाले बड़े पशु को 50/- रूपये प्रति बड़े पशु प्रतिदिन तथा 25/-रूपये प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से चारा/पशु आहार देने हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

(v) पशु शिविरों में संधारित किये जा रहे पशुओं को पशु शिविर संचालित करने वाली संस्था को 1 किलो पशु आहार बडे पशु को तथा 1/2 किलो पशु-आहार छोटे पशु को प्रति पशु प्रतिदिन की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। यदि निर्धारित मात्रा में पशुओं को पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में 11/- रूपये बड़े पशु तथा 5.50/- रू. प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान राशि में से काटी जाकर शेष अनुदान राशि का भुगतान संस्था को किया जाए।

(vi) पशु आहार राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफैड द्वारा निर्मित अथवा क्रय कर आपूर्ति किया गया उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में ही अनुदान राशि देय होगी। अन्य किसी संस्था द्वारा निर्मित पशु आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में पशु आहार राशि की कटौति सुनिश्चित की जाए।

(vii) पशु शिविरों के माध्यम से संधारित किये जा रहे पशुओं का शिविर स्थल पर जाकर, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों का उल्लेख शिविर संचालक द्वारा शिविर स्थल पर रखे जा रहे रजिस्टरों में आवश्यक इन्द्राज सुनिश्चित किया जाकर हस्ताक्षर किये जाए।

(viii) पशु शिविरों में रखे जाने वाले पशुओं के प्रमाणीकरण के संदर्भ में स्थानीय रूप से पटवारी/ग्राम सेवक/नजदीकी स्कूल से प्रतिष्ठित अध्यापक को शामिल करते हुए एक कमेटी का गठन कर कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही पशु शिविरों में पशुओं को रखा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक पशु शिविर में अधिकतम पशु सीमा 200 से अधिक न हो तथा 1 माह की अवधि में कम से कम 100 पशु होने की स्थिति में ही शिविर संचालक को अनुदान राशि का भुगतान किया जाए।

4. ऐसे पशु शिविरों के बारे में जिला कलेक्टर के स्तर पर एक रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें निम्न सूचना अंकित की जाए:-

(i) पशु शिविर चलाने वाली संस्था का नाम

(ii) पशु शिविर चलाने हेतु आवेदन पत्र का दिनांक

(iii)संस्थान का नाम जहाँ शिविर चलाया जाएगा।

(iv) पशुओं की संख्या जो शिविर में रखने हेतु प्रस्तावित हो

(v) शिविर के लिए पशु शाला हेतु उपलब्ध स्थान

(vi) शिविर पर पशुओं के लिए उपलब्ध सुविधायें

(vii) चारा कितनी मात्रा में प्रति पशु प्रति दिन दिया जाएगा तथा अन्य सुविधायें क्या दी जाएगी।

(viii) जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने का दिनांक

(ix) दिनांक जिससे पशु शिविर चालू किया गया

(x) संस्था की स्थायी संचालन समिति के सदस्यों के नाम

(xi) बैंक जिसमें संस्था अपना खाता रखती हो

(xii) संस्था के प्रबन्धक / अध्यक्ष एवं सचिव का नाम

(xiii) संस्था पंजीकृत है अथवा नहीं

(xiv) संस्था की सामान्य वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

5. पशु शिविर अनुदान, शिविर खोलने के दिनांक से अथवा जिला कलेक्टर द्वारा शिविर खोलने की अनुमति देने के दिनांक से, जो भी बाद में हो, दिया जाए।

6. पशु शिविर चलाने वाले स्वयं सेवी संस्था की स्थानीय संचालक समिति में जिला कलेक्टर द्वारा एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे एवं यह निर्देशित किया जाए कि स्थानीय संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना उस प्रतिनिधि को प्रदान की जावे ताकि बैठक में जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो सके।

7. ऐसे समस्त शिविरों का लेखा जोखा सही एवं भली प्रकार से संधारित कराया जाए, जिसमें निम्न रजिस्टरों का संधारण कराया जाएं:-

    क. पशु चारा / पशु आहार खरीद एवं स्टाक रजिस्टर
    ख. पशुओं के पंजीकरण का रजिस्टर
    ग. चारा तथा पशु आहार दैनिक वितरण रजिस्टर
    घ. दैनिक आमद व खर्च का रोकड़ बही

8. ऐसे शिविरों का तथा उनके लेखों का सहायता विभाग से अधिकृत किसी अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि या मनोनीत अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा।

9. जिला कलेक्टर अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर प्रत्येक पशु शिविर का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि इन शिविरों में निर्धारित मापदण्ड से पशुओं का पोषण किया जा रहा है तथा संस्था द्वारा संधारित अभिलेखों में अंकित संख्या के अनुसार पशु, वास्तव में शिविर में रखे गये हैं। इस प्रकार किये गये निरीक्षण की एक प्रति निरीक्षण दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सहायता विभाग एवं सम्बन्धित स्वयं सेवी संस्था को भेज दी जाए।

10. यदि किसी संस्था द्वारा संचालित शिविर की व्यवस्था, जिला कलेक्टर द्वारा संतोषजनक नहीं पाई जाए तो ऐसे शिविर की व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा अपने स्तर पर व्यवस्थित करने के लिए कार्यवाही की जाए।

11 पशु शिविर चलाने वाली संस्था द्वारा जिला कलेक्टर को प्रत्येक चरण का हिसाब प्रस्तुत किया जाये। जिला कलेक्टर की स्वयं की सतुष्टि के उपरान्त देय अनुदान राशि का भुगतान बिल प्राप्त के 7 दिन मे किया जावे। इस प्रकार किये गये भुगतान मे राशि कम या अधिक पाई जाने पर उसका समायोजन अगले पंखवाडे के हिसाब मे